"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छ. ग./दुर्ग/09/2010-2012."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 4] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 28 जनवरी 2011—माघ 8, शक 1932

भाग 3 (1)

विविध

निविदा सूचनाएं

Raipur, the 27th January 2011

Tender Notice

No. GB-IV Machinery (3) 2010-2011/66.— Sealed Tenders are invited from the manufacturers or their Agents/ Authorised Dealers for the supply of Digital Multi Colour Printing, Plate Graining, Power Stitching, Semi Automatic Cutting and Book Press Machines to the Govt. Press Raipur and Rajnandgaon while submitting the tender, write down the following lines "TENDER FOR THE SUPPLY OF DIGITAL MULTI COLOUR PRINTING, PLATE GRAINING, POWER STITCHING, SEMI AUTOMATIC CUTTING AND BOOK PRESS MACHINES" 2010-11 on the top of envelopes. It should reach to the undersigned office latest by 3.00 p. m. on 28-02-2011. The tender shall be opened on the same day at 4.00 p. m. in the presence of such tenderers or their authorised representatives who may choose to be present.

2. The detailed specifications of the machines and quantity required is given in the Tender Form. Tender Form with schedule of approximate requirement specifications and the terms and conditions of contract can be obtained from the office of the undersigned in person at a cost of Rs. 1000.00 (Rupees One Thousand only) in cash on any working day during working hours up to 25-02-2011 or by post for Rs. 1100.00 (Rupees One Thousand One Hundred only) payable by Demand Draft in favour of the Director Govt. Printing and Stationery, C. G. Raipur but the required Bank Draft and application for purchase of Tender Form is received in this Office up to 18-02-2011.

3. The tender will be considered on the tender form supplied by us. It can also be submitted on the form downloaded from our website **www.etendersindia.net**

4. The Tender Form will be despatched by Registered Post or Courier Service or by Speed Post but this office shall not be responsible if it is delivered late due to postal delay at both ends. It is advisable that Tender Form may be obtained either in person or from our website. Cost of tender form once received shall not be refunded.

5. In case if tenderer obtain the tender form our website he shall have to submitted Rs. 1000 (Cash) in our office day before the date of submission of tender otherwise the tender will not be accepted.

Note :- Tender Form can be downloaded from **www.etendersindia.net**

Sd/-
(B. L. TIWARI)
Director,
Govt. Printing and Stationery
C. G. Raipur

न्यायालयों की सूचनाएं

न्यायालय, अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक, सार्वजनिक न्यास, रायपुर

रायपुर, दिनांक 5 अक्टूबर 2010

प्रकरण क्र. 15 ब/113 (1) वर्ष 2009-10

क्रमांक/अ. वि. अ./ट्रस्ट/2010.— एतद्द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि बी. गोप कुमार न्यू शांति नगर रायपुर ने इन सर्च आफ जस्टीस अनुग्रह गली नं. 08 न्यू शांति नगर रायपुर का पंजीयन छ. ग. लोक न्यास अधिनियम 1951 की धारा 4 के अनुसार दर्शायी गई संपत्ति को पब्लिक ट्रस्ट के रूप में पंजीयन कराने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है.

उक्त संबंध में यदि किसी भी व्यक्ति को अभिरुचि हो और इस संबंध में कोई आक्षेप दावा/आपत्ति करने की इच्छुक हो तो वे दिनांक 02-02-2011 तक न्यायालयीन अवधि में स्वयं या अपने अधिवक्ता/एजेन्ट के माध्यम से उपस्थित होंकर लिखित वक्तव्य की दो प्रतियां प्रस्तुत करें निर्धारित तिथि के पश्चात् प्रस्तुत किये गये आक्षेपों पर किसी भी प्रकार का विचार नहीं किया जावेगा.

अनुसूची
(पब्लिक ट्रस्ट का नाम, पता और संपत्ति का विवरण)

1. पब्लिक ट्रस्ट का नाम और पता : इन सर्च आफ जस्टीस अनुग्रह गली नं. 8 न्यू शांति नगर रायपुर.
2. चल संपत्ति : 5000/-
3. अचल संपत्ति : निरंक

मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से आज दिनांक 17-12-10 को जारी.

तारन प्रकाश सिन्हा,
अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक.

न्यायालय, अनुविभागीय अधिकारी (रा.), बालोद जिला-दुर्ग

बालोद, दिनांक 11 जनवरी 2011

प्रारूप -5
[देखिये नियम 5(1)]

[छ. ग. लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) तथा छ. ग. लोक न्यास नियम, 1962 के नियम 5(1) द्वारा]

लोक न्यास के पंजीयक अनुविभागीय अधिकारी, बालोद जिला दुर्ग के समक्ष

क्रमांक /1998/प्र.-1/अ. वि. अ./2010.— मुझे यह प्रतीत होता है कि अनुसूची में विनिर्दिष्ट संपत्ति छ. ग. लोक न्यास अधिनियम 1951 (1951 का 30) की धारा 2 उपधारा (4) के आशय के अधीन लोक न्यास का गठन में आंशिक संशोधन करती है.

अब इसलिए मैं, सिद्धार्थ दास बालोद जिला -दुर्ग का लोक न्यासों का पंजीयक अपने न्यायालय में दिनांक 14-02-2011 को उक्त अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (1) में यथा अपेक्षित मामले में जांच करने को प्रस्तावित करता हूं.

एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि कथित न्यास का सम्पत्ति का कोई न्यास या कार्यकारी न्यासी या इसमें हितबद्ध कोई व्यक्ति और आपत्ति या सुझाव देने का आशा रखने वाले को सूचना के प्रकाशन के दिनांक से एक माह के भीतर लिखित कथन प्रस्तुत करना चाहिए और मेरे समक्ष उपरोक्त तारीख पर या तो व्यक्तिश: अथवा प्लीडर या अभिकर्ता के माध्यम से उपस्थित होना चाहिए. उपरोक्त अवधि के अवसान के उपरान्त प्राप्त आपत्ति को विचार में नहीं लिया जाएगा.

अनुसूची

1.	सर्वश्रीमान अध्यक्ष	-	श्री ठाकुरनाथ जी योगी
	उपाध्यक्ष	-	श्री श्याम सुन्दर जी मुंदड़ा
	सचिव	-	श्री रमन टुवानी जी
	कोषाध्यक्ष	-	श्री अभिषेक मुंदड़ा
2.	कार्यकारिणी - सदस्य	-	श्री शंकरलाल जी टावरी
			श्री लखननाथ योगी
			श्री दुल्लीचंद जी गोयल
			श्री मोतीचंद गोयल
			श्री अनिल मुंदड़ा
			श्री जोगेन्द्रनाथ योगी
			श्री कैलाशनाथ योगी
			श्री अनिल मंत्री

सिद्धार्थ दास,
अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक.

अन्य सूचनाएं

कार्यालय, संयुक्त पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बिलासपुर

बिलासपुर, दिनांक 17 जनवरी 2011

छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 18 (1) (2) के अन्तर्गत

क्रमांक/परिसमापन/2010/106.— इस कार्यालय का आदेश क्र./परिसमापन/2007/1911/बिलासपुर दिनांक 29-09-2007 के तहत् प्राथमिक सहकारी उपभोक्ता भण्डार मर्यादित, सुभाष नगर बिलासपुर पं. क्र. 3355 दिनांक 28-02-1995 विकासखण्ड-बिल्हा, जिला-बिलासपुर (छ. ग.) को छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर 70(1) के तहत् श्रीमती नमिता विश्वास सहकारी निरीक्षक को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया है.

परिसमापक द्वारा परिसमापन का सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न कर अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. परिसमापन की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अत: मैं, एन. कुजूर, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बिलासपुर (छ. ग.) सहकारिता विभाग के आदेश क्र./एफ-5-1-99 पन्द्रह-1/सी. दिनांक 26-07-1999 के अन्तर्गत पंजीयक की शक्तियां जो मुझे वैष्ठित हैं का उपयोग करते हुए छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 18 (1) (2) के तहत संस्था का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्था निगम निकाय (बाडी कारपोरेट) समाप्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 17-1-2011 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुहर से जारी किया गया.

बिलासपुर, दिनांक 17 जनवरी 2011

छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 18 (1) (2) के अन्तर्गत

क्रमांक/परिसमापन/2010/110.— इस कार्यालय का आदेश क्र./परिसमापन/2008/779/बिलासपुर दिनांक 05-04-2008 के तहत् संतोष प्राथमिक सहकारी उपभोक्ता भण्डार मर्यादित, कतियापारा बिलासपुर पं. क्र. 3616 दिनांक 24-02-1995 विकासखण्ड-बिल्हा, जिला-बिलासपुर (छ. ग.) को छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर 70(1) के तहत् श्रीमती शोभा बन्दे, सहकारी निरीक्षक बिलासपुर को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया है.

परिसमापक द्वारा परिसमापन का सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न कर अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. परिसमापन की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अत: मैं, एन. कुजूर, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बिलासपुर (छ. ग.) सहकारिता विभाग के आदेश क्र./एफ-5-1-99 पन्द्रह-1/सी. दिनांक 26-07-1999 के अन्तर्गत पंजीयक की शक्तियां जो मुझे वैष्ठित हैं का उपयोग करते हुए छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 18 (1) (2) के तहत संस्था का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्था निगम निकाय (बाडी कारपोरेट) समाप्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 17-1-2011 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुहर से जारी किया गया.

एन. कुजूर,
सहायक पंजीय

कार्यालय, संयुक्त पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, दुर्ग (छ. ग.)

दुर्ग, दिनांक 6 जनवरी 2011

क्रमांक/संपंदु/परिसमापन/2010-11/17.—एस. एम. एस. को-आपरेटिव्ह केन्टीन बी. एस. पी. भिलाई, पंजीयन क्रमांक 1782, जिला दुर्ग को छ. ग. सहकारी समिति अधिनियम 1960 की धारा 69 (3) के अंतर्गत अध्यक्ष एस. एम. एस. को -आप. केन्टीन भिलाई पं. क्र. 1782 के पत्र क्र. सिनी. मैने. (पी. केन्टीन सेल) 2010 भिलाई दिनांक 15-09-2010 द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर संस्था दिनांक 31-10-2009 को बन्द हो चुकी है. यह मानकर कि संस्था को परिसमापन में लाने की सहमति दी गई है, संस्था निष्क्रिय हो चुकी है एवं भविष्य में कार्य करने की कोई सम्भावना नहीं है.

अतएव मैं, जॉन खलखो, सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी समिति अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) जिसकी शक्तियां मुझें छ. ग. शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ/5/6/79-एक/पन्द्रह-त.-दिनांक 27-8-1979 द्वारा प्रदत्त की गई है, का प्रयोग करते हुए उक्त समिति को परिसमापन में लाता हूं एवं छ. ग. सहकारी समिति अधिनियम 1960 की धारा 70(1) के अन्तर्गत श्री नीरज खत्री, सहकारिता विस्तार अधिकारी को परिसमापक नियुक्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 01-01-2011 को मेरे हस्ताक्षर एवं पद मुद्रा से जारी किया गया.

दुर्ग, दिनांक 6 जनवरी 2011

क्रमांक/संपंदु/परिसमापन/2010-11/18.—बलास्ट फर्नेस्ट को-आपरेटिव्ह केन्टीन बी. एस. पी. भिलाई, पंजीयन क्रमांक 1805, जिला दुर्ग को छ. ग. सहकारी समिति अधिनियम 1960 की धारा 69 (3) के अंतर्गत अध्यक्ष बलास्ट फर्नेस्ट को -आप. केन्टीन भिलाई पं. क्र. 1805 के पत्र क्र. सिनी. मैने. (पी. केन्टीन सेल) 2010 भिलाई दिनांक 15-09-2010 द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर संस्था दिनांक 31-10-2009 को बन्द हो चुकी है. यह मानकर कि संस्था को परिसमापन में लाने की सहमति दी गई है, संस्था निष्क्रिय हो चुकी है एवं भविष्य में कार्य करने की कोई सम्भावना नहीं है.

अतएव मैं, जॉन खलखो, सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी समिति अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) जिसकी शक्तियां मुझे छ. ग. शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ/5/6/79-एक/पन्द्रह-त.-दिनांक 27-8-1979 द्वारा प्रदत्त की गई है, का प्रयोग करते हुए उक्त समिति को परिसमापन में लाता हूं एवं छ. ग. सहकारी समिति अधिनियम 1960 की धारा 70(1) के अन्तर्गत श्री नीरज खत्री, सहकारिता विस्तार अधिकारी को परिसमापक नियुक्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 01-01-2011 को मेरे हस्ताक्षर एवं पद मुद्रा से जारी किया गया.

जॉन खलखो,
सहायक रजिस्ट्रार.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित -2011.